न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–206/2010

CIS No. 13/2019

बीबी अख्तरी बेगम.....वादिनी

बनाम

मजीबुा रहमान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
21.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादिनी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 18.12.2024 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 21.05.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वादिनी के आवेदन दिनांक 18.12.2024 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज **आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।	
पश्चात् 21.05.2025	वादिनी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त वाद में वादिनी ने अपने दावे के समर्थन में सुची के साथ दिनांक 12.08.2016 को बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 24.06.1929 अदालत हुसैन बनाम हबिबुर रहमान और बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 25.08.1989 शेख मोजीबुर रहमान बनाम अब्दुल रहमान की सच्ची प्रतिलिपी दाखिल किया है, जो प्रदर्श 1 और 1/A है। उपरोक्त दोनों दस्तावेज उर्दू में है, जिसकी सच्ची प्रतिलिपी न्यायालय से प्राप्त कर वादिनी द्वारा उपरोक्त दस्तावेज का हिन्दी रूपान्तरण कराने हेतु उर्दू के कातिब से प्रयास किया गया तो सच्ची प्रतिलिपी की सच्ची प्रतिलिपी होने के	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–206/2010</u>

CIS No. 13/2019

बीबी अख्तरी बेगम.....वादिनी

बनाम

मजीबुा रहमान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 21.05.2025	कारण उपरोक्त दस्तावेज अपठनीय होने के कारण उसका हिन्दी रूपान्तरण नहीं हो पाया। वादिनी द्वार दाखिल दोनों दस्तावेज को वापस करते हुए और उसकी प्राप्त सच्ची प्रतिलिपी का उसके स्थान पर विस्थापित करते हुए दोनों दस्तावेज वादिनी को वापस देने का आदेश दिया जाय ताकि वादिनी उसका सही से हिन्दी रूपान्तरण करा सके, जिससे वाद में उचित आदेश पारित हो सके। उपरोक्त दोनों दस्तावेज की आवश्यकता वादिनी के सर्वे में भी दिखाने की आवश्यकता है, अगर उपरोक्त दोनों दस्तावेज वादिनी को हिन्दी रूपान्तरण कराने हेतु नहीं दिया गया तो वादिनी को अपूर्णीय क्षति होगी और न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादिनी द्वारा दाखिल उपरोक्त दोनों बख्शीशनामा दस्तावेज की मूल सच्ची प्रतिलिपी वादिनी को वापस करते हुए सच्ची प्रतिलिपी को प्रतिस्थापित करने का आदेश देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए वादिनी श्रीमान् की सदैव आभारी रहेगी। प्रतिवादी की ओर से कोई पत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया, लेकिन वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया और वादिनी का आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 18.12.2024 बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 24.06.1929 अदालत हुसैन बनाम हबिबुर रहमान और बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 25.08.1989 शेख मोजीबुर रहमान बनाम अब्दुल रहमान की मूल सच्ची प्रतिलिपी,	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–206/2010</u>

<u>CIS No. 13/2019</u>

बीबी अख्तरी बेगम.....वादिनी

बनाम

मजीबुा रहमान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 21.05.2025	जो प्रदर्श 1 और 1/A है को वापस करते हुए सच्ची प्रतिलिपी को प्रतिस्थापित करने का आदेश करने हेतु लाया गया है। वादिनी का आवेदन न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। इससे वादी की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी साक्ष्यों की सच्ची प्रतिलिपी को अभिलेख पर रखा जाना चाहिए, जिससे वाद का निपटारा उचित एवं अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः न्यायहित में वादिनी का आवेदन दिनांक 18.12.2024 को स्वीकृत करते हुए वादिनी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त दोनों दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल करने के बाद बख्शीशनामा दस्तावेज की मूल सच्ची प्रतिलिपी को वापस लें। चूंकि उक्त दस्तावेज को प्रदर्श किया जा चुका है, इसलिए न्यायालय द्वारा पुनः मांग करने पर उक्त दस्तावेज को उपलब्ध करवाया जाएगा। वाद दिनांक 18.06.2025 को बहस वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	